बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 140925 पटना, दिनांक- 05/03/2013

ग्रा0वि0 7(MIS) -01/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

भा0प्र0से0

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक

विषय: **मनरेगा के अन्तर्गत वसुधा केन्द्रों के माध्यम से मांग दर्ज करने के संबंध में ।**

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 99298 दिनांक 30.03.2012.

महाशय,

राज्य के विभिन्न जिलों में वसुधा केन्द्र कार्यरत है । वसुधा केन्द्रों में पंचायत स्तर पर वॉछित हार्डवेयर उपलब्ध है । विभाग के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि वसुधा केन्द्रों को मनरेगा हेतु आई0टी0 सेन्टर के रूप में उपयोग किया जाए । इस संबंध में राज्य स्तरीय अपेक्स कमिटी द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए दरों का निर्धारण कर दिया गया है जो प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा संसूचित है ।

2. प्रासंगिक पत्र द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किस प्रकार वसुधा केन्द्रों के माध्यम से MIS में प्रविष्टियां की जायेगी, कब प्रविष्टियों को पूर्ण माना जायेगा, किस प्रकार इसका अनुश्रवण किया जायेगा, त्रुटि मिलने पर क्या दंड होगा तथा किस प्रकार भुगतान किया जायेगा ।

3. इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि वसुधा केन्द्रों के ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न पंचायतों के महादलित टोलों में जाकर उन्हें मनरेगा के प्रावधानों से अवगत कराऍगे और यदि वे इच्छुक हो तो मनरेगा अन्तर्गत काम की मांग का आवेदन प्राप्त करेंगे, उसका MIS पर प्रविष्टि करेंगे और इन आवेदन पत्रों को पंचायत रोजगार सेवक को उपलब्ध कराऍगे । पंचायत रोजगार सेवक की यह जिम्मेवारी होगी कि सृजित मांग के आलोक में संबंधित इच्छुक मजदूरों को ससमय कार्य आवंटित करा कर रोजगार उपलब्ध कराऍं ।

4. इस हेतु यह निर्देश दिया जाता है कि पंचायत रोजगार सेवक वसुधा केन्द्रों पर हर सप्ताह शुक्रवार को जाकर सभी आवेदन पत्रों को प्राप्त करेंगे और उसी दिन online मांग दर्ज कराकर

रोजगार के अवसर ससमय सुनिश्चित कराएँगे । 15 दिनों की गणना मांग के online दर्ज होने की तिथि से की जायेगी । VLE द्वारा प्राप्त आवेदनों online प्रविष्टि हर शुक्रवार को हीं की जायेगी एवं उसी दिन आवेदनों को को पंचायत रोजगार सेवक को दे देंगे ।

5. अपने-अपने जिले में वसुधा केन्द्र के जिला समन्वयक से समन्वय कर MIS में प्रविष्टियां तथा महादलित टोलों में काम के मांग के निबंधन हेतु समुचित उपयोग किया जाय ।

6. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी साप्ताहिक बैठको में इसका सतत अनुश्रवण करेंगें तथा अपने भ्रमण के दौरान इन केन्द्रों की कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे । वे प्रखंड स्तर के वसुधा केन्द्र के प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित करेंगे एवं उनको भी साप्ताहिक बैठकों मे बुलायेंगे ताकि वसुधा केन्द्रों के संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके ।

8. राज्य स्तर पर वसुधा केन्द्रों के माध्यम से किये गये प्रयास की समीक्षा करने से यह ज्ञात होता है कि पिछले तीन सप्ताह में करीब 60 हजार महादलित परिवारों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं । उसमें से 4200 की online प्रविष्टि हो गयी है । यह अच्छा प्रयास चल रहा है जिसे सभी को प्रश्रय देते हुए सहयोग करना है ।

9. उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप अधिकृत संस्थाओं को काम की मांग के आवेदन प्राप्त करके समय पर काम देने के लिये विधि सम्मत कार्रवाई करनी है । विभागीय पत्रांक 9291 दिनांक 22.07.2011 के 5.3.ix में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्राधिकृत विभिन्न श्रोंतो से प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत से प्राप्त आवेदन माना जायेगा ।

10. वसुधा केन्द्र द्वारा निबंधित काम के मांग का भुगतान भी प्रासंगिक पत्र के आलोक में 0.7% आकस्मिकता की निधि से किया जायेगा ।

11. अनुरोध है कि सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराकर पूर्ण सहयोग देने हेतु निदेशित किया जाए ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

28/2/13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव ।